

LOK SABHA DEBATES

I

LOK SABHA

Friday, March 5, 1982/Phalgun 14,
1903 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the
Clock

[MR. SPEAKER in the Chair]

OBITUARY REFERENCE

MR. SPEAKER: Hon. Members, I have to inform the House of the sad demise of one of our former colleagues, Shri Yamuna Prasad Mandal, who was a Member of the Third, Fourth and Fifth Lok Sabha during 1962—77 from Samastipur constituency of Bihar.

An active social workers, he was a Member of various Parliamentary Committees and founder of three High Schools. He worked for the abolition of early marriages and sub-caste and caste systems and spread of literacy among women and girls. He took keen interest in labour organisation and welfare of landless workers. He took active part in Shramdan and Bhoodan movements.

A veteran freedom fighter, he took active part in Quit India movement. 1942 and suffered imprisonment.

He passed away at Bombay on 21st January, 1982, at the age of 72 years.

We deeply mourn the loss of this friend and I am sure the House will join me in conveying our condolence to the bereaved family.

The House may stand in silence for a short while.

3809 LS—1

2

The Members then stood in silence for a short while.

Decline in value of Rupee

+

*187. SHRI SURAJ BHAN:

SHRI ATAL BIHARI
VAJPAYEE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the value of rupee as at present, when compared with that in 1960-61 and 1947,

(b) its impact on assessment of (i) income tax; (ii) wealth tax; (iii) property valuation and (iv) an industry to determine whether it falls in the small scale or medium or large scale sector; and

(c) the steps taken to counteract the impact in each case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): (a) The domestic purchasing power of the Rupee, as a reciprocal of the All India Industrial Workers' Consumer Price Index (1960=100), works out to 138.89 paise in 1947, 96.15 paise in 1961 and 21.74 paise in December, 1981 (The latest available).

(b) and (c). It is not the policy of the Government to adjust taxation to the purchasing power of the Rupee. As such, the question of impact of value of rupee on assessment of income-tax, wealth-tax, property valuation and an industry to determine whether it falls in the small-scale, or medium or large-scale sector does not arise.

श्री सुरज भान : अध्यक्ष महोदय,
जैसे-जैसे आज़ादी का वक्त गुज़रता जा

रहा है, वैसे-वैसे हमारे रुपए की कीमत घटती जा रही है। 1947 में 138 पैसे थी और आज 21 पैसे मानते हैं। दरअसल मेरे ख्याल से 14-15 पैसे रह गई है। इन्होंने कहा है कि हमारी टैक्सेशन पालिसी रुपए की कीमत के हिसाब से नहीं है, लेकिन है किस हिसाब से यह इन्होंने नहीं बताया है। आपने एक मकान के ऊपर एक लाख रुपए की लिमिट रखी है। रुपए की घटती हुई कीमत को देखकर, आपके स्टेटमेंट के मुताबिक, उसकी कीमत एक-चौथाई से भी कम रह गई है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि रुपए की घटती हुई कीमत को देखते हुए, यदि एक आदमी का एक मकान है तो क्या उसको वैल्यू-टैक्स और एस्टेट-ड्यूटी से एग्जैम्प्ट करेगा? इसके साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि जो आपने इनकम-टैक्स की लिमिट 15 हजार रखी है, इसको सबके लिए क्या आप 20 हजार रुपए कर देंगे, रुपए की घटती हुई कीमत को देखते हुए?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न किए हैं— एक इनकम टैक्स के बारे में और दूसरा वैल्यू टैक्स के बारे में। माननीय मंत्री जी ने अभी सदन में बजट पेश किया है, उसमें जो संभव था, वो इनकम टैक्स के बारे में जितनी रियायत दे सकते थे, वह सदन के सामने उन्होंने रखी है। मैं उनकी जानकारी के लिए फिर भी कहना चाहता हूँ कि 1947 में इनकम टैक्स की एग्जैम्पशन लिमिट 2 हजार 5 सौ रु० थी, 1961 में 3,600 रु० और 1981 में 15 हजार रुपए। देश की इकानामिक सिचूएशन को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जाता है। जो राष्ट्र के हित में संभव होता है, वह किया जाता है। इसलिए यह दृष्टिकोण कि रुपए की कीमत कम हो गई है, उसी हिसाब से एग्जैम्पशन लिमिट बढ़ती रहे, तो यह संभव नहीं है। इसके

अलावा मैं वैल्यू टैक्स के बारे में भी माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि—

it was Rs. 1,00,000. After that, the Finance Act of 1970 extended the exemption from wealth-tax to investments in specified financial assets including, *inter alia*, units of the Unit Trust of India, deposits with banking companies, etc. The ceiling in respect of investment in such assets has, however, been fixed at Rs. 1,50,000 with an additional Rs. 25,000 in respect of units. These limits were proposed to be raised, and this has been done.

श्री सुरज मान : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह नहीं बताया कि टैक्सेशन की पालिसी क्या है, केवल यह कहा है कि वह रुपए की कीमत कम होने के आधार पर नहीं है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि रुपए की कीमत कम होने का प्रभाव सिर्फ इनकम टैक्स पेयर को ही नहीं है, बल्कि ग्राम कन्ज्यूमर पर भी होता है और खास तौर पर उन पर जिन की फिक्स सैलरी है, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी मुलाजिम हो या और किसी क्षेत्र में हो, उनका पे-पैकेट न घटे, क्या इस किस्म की कोई आप व्यवस्था करेंगे? जिस किस्म की व्यवस्था पहले रेलवे में हुआ करती थी, एसेशियल गुड्स जैसे अनाज है, कपड़ा है या दूसरी चीजें हैं, उनको आप सब्सिडाइज्ड रेट पर देते रहेंगे, ताकि रुपए की कीमत घटने का उनके पे-पैकेट पर असर न पड़े?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रश्न मूल प्रश्न की सीमा से बाहर है। डी०ए० के बारे में, पे के बारे में या पे-कमीशन के बारे में क्या प्रिंसिपल हो, क्या सिद्धान्त हो, यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है . . . (व्यवधान) . . . मेरा निवेदन यह है कि जब कभी टैक्सेशन या बजट के प्रोजेक्ट्स

के बारे में विचार किया जाता है, तो माननीय सदस्य एक तरफ़ा तस्वीर को देखते हैं। इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है कि हमारे देश की आज़ादी के बाद कितना विकास हुआ है ; एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 1960 में 60 मिलियन टन था, लेकिन अब यह 134 मिलियन टन है। इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ चार गुना ऊपर जा चुका है। देश के विकास के कार्यों में पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा काफ़ी व्यय किया गया है और विकास की दृष्टि से देश काफ़ी आगे बढ़ा है। इसलिये तस्वीर के दूसरे रुख को भी सामने रखना चाहिये। हमारे देश की हर दृष्टि से हर क्षेत्र में उन्नति हुई है, उस को सामने रखते हुए बजट के समय देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह सम्भव कोशिश की जाती है कि जितनी राहत दी जा सकती है वह दी जाय।

श्री सूरज भान : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। सविसडाइज्ड रेंट्स पर गुड्स दिये जायेंगे या नहीं।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : यह इस प्रश्न की मर्यादा से बाहर है।

श्री जार्ज फर्नान्डिस : मंत्री महोदय ने ठीक कहा है कि देश में काफ़ी विकास हुआ है—पिछले 30—35 वर्षों में रुपये की कीमत घटी है इसलिये उस की कोई विशेष फ़िक्र नहीं करनी चाहिये। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि देश के मज़दूरों का जो प्राविडेंट फण्ड आप काटते हैं और जिस को सरकार के पास जमा कराया जाता है

डा० कृपा सिंधु भोई : यह आर्गनाइज्ड लेबर की बात है।

श्री जार्ज फर्नान्डिस : गरीब मज़दूर जो कमाता है उस की कमाई में से प्राविडेंट फण्ड काटा जाता है, मैं उस का ज़िक्र कर रहा हूँ। इसी तरह से लाइफ

इन्शोरेंस कारपोरेशन में जो लोग बीमा कराते हैं और आप को प्रीमियम देते हैं—दोनों से प्राप्त रुपया आप देश के विकास के काम में लगाते हैं। पिछले 4—6 महीनों में जितनी देश में बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ हैं सब नये-नये डिबेन्चर्स का एलान कर रही हैं और 30 साल पहले जो इन कम्पनियों में 10 रुपया लगा था वह आज 1000 रुपये तक पहुँच गया है—ऐसा प्रचार खूब कर रही हैं, ऐसी स्थिति में मज़दूरों से जो आप प्राविडेंट फण्ड के माध्यम से या सामान्य लोगों से, जो बीमे के माध्यम से प्रीमियम लेते हैं और जो राष्ट्र के विकास के कार्य में लगाते हैं तथा जिस के द्वारा राष्ट्र के कल्याण के साथ-साथ उद्योग-पतियों का कल्याण भी हो जाता है, उस गरीब के पैसे की कीमत न घटे, जैसे आज कल रुपये की कीमत घट रही है, तो क्या आप उस की भरपाई करने का कोई इन्तज़ाम करेंगे ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न भी, जो मौजूदा प्रश्न है उस के स्कोप के बाहर है। लेकिन

PROF. MADHU DANDAVATE:
Sir, it is for you to decide. The Minister cannot decide the scope of the question.

SHRI SAWAI SINGH SISODIA:
I am requesting the Speaker to consider this—that this supplementary is not within the scope of the question.

SHRI GEORGE FERNANDES: You please ask the Finance Minister to reply. This involves a matter of policy. I am sure the Finance Minister can make a statement. I know how he understands the question.

श्री सवाई सिंह सिसोदिया :
Thank you for your understanding. मेरा निवेदन है कि इस में जो परिस्थितियाँ शासन के सामने आती हैं और उन सब के जो रिपरकशन्स होते हैं, परिणाम होते

हैं, उन पर विचार किया जाता है। सिद्धान्त के बारे में किसी डिक्लेरेशन का प्रश्न नहीं है और न ही ऐसा सम्भव है।

श्री आर्ष फरनाडिस : सवाल बहुत ठोस है, लेकिन उस का कोई जवाब नहीं आया।

Please ask the Finance Minister to reply.

PROF. MADHU DANDAVATE: He need not vote on his reply, but he can give his reply.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): It is not a question of what my colleague has said.

Firstly, what has been suggested by Mr. Fernandes might have been an ideal situation in regard to indexing and in protecting the erosion of the value. But in a situation like this, he himself admits that it is not possible. Do you want to say that it is possible to index and protect the entire capital value of an investment to-day in a highly inflationary situation like this?

SHRI GEORGE FERNANDES: I am talking of the provident fund.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I am talking of the long-term investments like the provident fund and life insurance.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Sir, he says is highly inflationary situation', but the Budget speech says that the inflation has been contained.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I am talking of the previous decade.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Sir, in view of the steep depreciation on the value of the rupee, I would like to know the Government's justification in equating, for purposes of income-tax, the incomes of people who are on

fixed salaries with the incomes of people whose income is not so easily identifiable or quantifiable. Because it is derived from other sources, it is possible to evade a part of the income; it is also possible to have a number of deductions made and all that. So, I would like to know whether, in view of this steep fall in the value of the rupee, they have given any thought to this matter on whether the people who are on fixed salaries should be treated, for income-tax purposes, on the same par with the people whose incomes are not easily identifiable or quantifiable. Is this not an injustice done to the people who are on fixed salaries?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: There are two parts to this question. As regards the first part, I would like to make it clear. In fact, I have mentioned it as a part of my budget speech which I would like to repeat in a few words. I quote:

"I cannot accept, as a principle, that income limits for exemption from tax should be fixed on the basis of cost of living index."

I have not accepted that principle. In regard to the question of giving concessions to the fixed income group, as my colleague has indicated, from time to time, we have raised the exemption limit. The question which the hon. Member raised is whether we should also extend the same benefits to the unidentifiable income groups. (Interruptions) I am saying that in two slabs we have done a little. I do not want to disturb the tax structure because what is primarily needed to-day is to have some sort of stability in the tax structure and we should not make changes frequently.

Pension Cases of War Widows Pending for Settlement

*188. **PROF. NARAIN CHAND PARASHAR:** Will the Minister of DEFENCE be pleased to state: